

फॉर्म नंबर 107/2012
 प्रमाण पत्र जारी करने के लिए (अनुच्छेद 107/2012)

पत्र व्यवहार - उपरोक्त अधिकारी का
 कोश संख्या 70/2012 का

क्र.सं.	दिनांक	आज्ञा विवृत का सं.	दिनांक
	आज्ञा सं.		दिनांक
	कलेंदरी		
	24/1/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान वकील उपरोक्त पत्रावली वास्तु में जवाब 10 CPC दिनांक 30/1/25 को पेश है।	
	30/1/25	पत्रावली पेश। पत्रकारान वकील उपरोक्त पत्रावली वास्तु में जवाब 10 CPC दिनांक 7/2/25 को पेश है।	
	7/2/25	पत्रावली पेश हुई है पी0ओ0 साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/2/25 को पेश है।	
	13/2/25	पत्रावली पेश हुई है पी0ओ0 साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/2/25 को पेश है।	
	20/2/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान वकील उपरोक्त पत्रावली वास्तु में जवाब 10 CPC को जवाब में देकर सीधी वस्तु करने का निवेदन किया। वस्तु 10 CPC पर पुनरी गई। दोराने वस्तु जवाब 10 CPC स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्तु अतः उक्त वाड स्थाई निषेधाज्ञा तथा पूर्ववर्ती वाड लक्ष्मीनारायण व/उ राधाकिशान घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है। तथा लौना वाडों में विवादात्मक आराजी व पत्रकारान भी समान हैं। लेकिन पश्चात्पूर्वी वाड मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा पूर्ववर्ती वाड घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है। इसलिए उक्त वाड में चाहा गया।	

सुपरवाइजर अधिकारी

सुपरवाइजर अधिकारी
 काशी

सुपरवाइजर अधिकारी
 काशी

फर्द अहकाम

मोहन इर्फ खीरनाम लक्ष्मीनारायण


पञ्चायालय - उपखण्ड अधिकारी फार्मी

संख्या 90/2012

दिनांक	आज्ञा विरुद्ध काय श	कि
आज्ञा का कार्यवाही		कि

अनुलोष पूर्ववर्ती वाड में भी जा फल
किया जा सकता है इसलिए पूर्ववर्ती
वाड व पश्चात वर्ती वाड समान
विवादग्रस्त आराजी होने व समान
पक्षकारान के होने से तथा वाड
की बहुलता को रोकने के लिए
धारा 10 CPC का जा. पत्र (बीआए
किया जाना उचित समझते हैं)

अतः धारा 10 CPC जा. पत्र (बीआए
किया जाकर उक्त पत्रावली मु. नं
230/2016 दावा मोहन इर्फ खीर
नाम लक्ष्मीनारायण व/स पूर्ववर्ती वाड
लक्ष्मीनारायण व/स राधाकिशन वर्त.
मु. नं. 235/2016 के साथ हमफिला
समेकित किया जाने के आदेश
दिया जाता है पत्रावली उक्त
आदेशानुसार लक्ष्मीनारायण व/स
राधाकिशन के साथ संलग्न है।
पत्रावली दर्ज नं. से कम हो


उपखण्ड अधिकारी
फार्मी